

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा- 46(1) ए के तहत
अनुमति वाद संख्या -आर०. एम० 25/2022-23

ठाकुर मुण्डा.....विक्रेता

बनाम

चन्दन कुमार.....क्रेता

आदेश की तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर									
1	2	3								
20/12/2022	<p>विक्रेता का नाम एवं पता- ठाकुर मुण्डा पिता-स्व० तेजमोहन मुण्डा निवास ग्राम-लोण्डरा, पो०-उलीडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-मुण्डा, पेशा-खेती।</p> <p>क्रेता का नाम एवं पता:- चन्दन कुमार पिता-छोटेराम उराँव, ग्राम-गोकुल नगर मल्हान भुईयाडीह, पो.-बाबुरामडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-उराँव, पेशा-खेती।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता का नाम:- श्री परमेश्वर महतो।</p> <p>विक्रेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 28/06/2022 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) ए के तहत क्रेता चन्दन कुमार पिता-छोटेराम उराँव, ग्राम-गोकुल नगर मल्हान भुईयाडीह, पो.-बाबुरामडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-उराँव, पेशा-खेती के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-</p> <p style="text-align: center;"><u>बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी</u> मौजा-लोण्डरा, थाना-तमाड़, थाना सं०-150</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">खाता सं०</th> <th style="width: 15%;">प्लॉट सं०</th> <th style="width: 20%;">रकवा</th> <th style="width: 50%;">चौहदी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">1.19 एकड़ मध्ये 84.73 डी०</td> <td>उ०-प्लॉट संख्या 42 द०- एन० एच० 33 पू०- प्लॉट संख्या 45 प०- प्लॉट संख्या 39</td> </tr> </tbody> </table> <p>उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी तमाड़ का पत्रांक-556 (11) दिनांक 15/12/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत केदार मुण्डा वल्द ठाकुर मुण्डा के नाम से दर्ज है। 2. खतियानी रैयत/पंजी ।। रैयत से आवेदक का संबंध परपोता का है। 3. पंजी- ।। के अनुसार रैयत का नाम पोड़ा मुण्डा है । 4. आवेदक पंजी- ।। रैयत से परपोता है। 5. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2013-2014 तक वसूली की गई है। 6. खतियानी के आधार पर जमाबंदी कायम है। 7. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म है। 8. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति नहीं है। 9. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका का पूर्ण अंश है। 10. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा-18 एकड़ 2277डीसमील जमीन शेष रह जायगा। 	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी	08	41	1.19 एकड़ मध्ये 84.73 डी०	उ०-प्लॉट संख्या 42 द०- एन० एच० 33 पू०- प्लॉट संख्या 45 प०- प्लॉट संख्या 39	
खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी							
08	41	1.19 एकड़ मध्ये 84.73 डी०	उ०-प्लॉट संख्या 42 द०- एन० एच० 33 पू०- प्लॉट संख्या 45 प०- प्लॉट संख्या 39							

11. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने हेतु बिक्री कर रहे हैं।
12. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकारी/समिति के पास नहीं की जा रही है।
13. विक्रेता एवं क्रेता दोनों आदिवासी समुदाय के हैं।
14. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं।
15. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदिम भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
16. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
17. आवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/सरना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
18. बिक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) ए के तहत विक्रेता ठाकुर मुण्डा पिता-स्व० तेजमोहन मुण्डा निवास ग्राम-लोण्डरा, पो०-उलीडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-मुण्डा, पेशा-खेती ने क्रेता/विपक्षी चन्दन कुमार पिता-छोटेराम उराँव, ग्राम-गोकुल नगर मल्हान भुईयाडीह, पो.-बाबुरामडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-उराँव, पेशा-खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

अतः अंचल अधिकारी तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता ठाकुर मुण्डा पिता-स्व० तेजमोहन मुण्डा निवास ग्राम-लोण्डरा, पो०-उलीडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-मुण्डा, पेशा-खेती को क्रेता/विपक्षी चन्दन कुमार पिता-छोटेराम उराँव, ग्राम-गोकुल नगर मल्हान भुईयाडीह, पो.-बाबुरामडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-उराँव, पेशा-खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) ए के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी
मौजा-लोण्डरा, थाना-तमाड़, थाना सं०-150

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
08	41	1.19 एकड़ मध्ये 84.73 डी०	उ०-प्लॉट संख्या 42 द०- एन० एच० 33 पू०- प्लॉट संख्या 45 प०- प्लॉट संख्या 39

लेखापित एवं सशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू।